द्वारा फैक्स / ईमेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर भवन) पंचम तल टावर-1 गोमतीनगर विस्तार फेज02 लखनऊ-226010,
फैक्स नम्बर-0522-2724030 फोन-0522-2724027 ईमेल-LOGISTICOFFICE4@GMAIL.COM

संख्या:लॉजि0-19-2025(मु0आ0 आरमोरर पदो0) **दिनांक:सितम्बर25 2025**

आदेश

उत्तरप्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आरक्षी आरमोरर को मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय के अनुमोदनोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	पी0एन0ओ0 नम्बर	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद/इकाई	जन्मतिथि	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	030620344	आशीष सिंह	श्री अवध नारायण सिंह	बाराबंकी	10.08.1981	2025
2	030680614	धर्मेन्द्र कुमार सरोज	श्री चन्द्रवली सरोज	अम्बेडकर नगर	04.04.1981	2025
3	030770313	मो0 महफूज	स्व0 मो0 अय्यूब	42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज	05.06.1980	2025
4	030740053	रविकान्त	श्री वंशीलाल	हापुड़	08.02.1980	2025
5	040540030	संजीव कुमार	श्री भदैया सिंह	उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद	21.12.1980	2025
6	030580376	सुरेन्द्र साहनी	श्री वीपत प्रसाद	अम्बेडकर नगर	11.07.1980	2025
7	980620494	रिजवान अहमद	श्री जमालुद्दीन	अयोध्या	01.01.1980	2025
8	041860029	अनूप कुमार सिंह	श्री राम बहादुर सिंह	स्पाट / एटीएस उ0प्र0	04.07.1985	2025
9	060502908	हरेन्द्र कुमार	श्री भगवान दास	मुजफ्फरनगर	31.03.1986	2025

2- पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे उ0प्र0 पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2016 के प्रस्तर-13 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस की आगामी नियुक्ति / स्थानांतरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित आरक्षी आरमोरर पुलिस से प्रारूप "क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-क-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी 03 परिस्थितियों यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के विरूद्ध विद्यमान नहीं हों।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं है तो उपरोक्त आरक्षी आरमोरर पुलिस को मुख्य आरक्षी आरमोरर पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है, तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है, तो उसकी पदोन्नति निरस्त कर उसे मूल पद पर पदावनत करते हुये उसके विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

नोटः-यदि उपरोक्त अंकित कर्मी आपके जनपद/पीएसी/इकाई से अन्यत्र स्थानांतरण पर कार्यमुक्त हो गया हो तो उस जनपद/पीएसी/इकाई को सूचित करते हुये उसकी प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये।

(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, डा0 भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,जनपद-बाराबंकी/अम्बेडकरनगर/हापुड़/अयोध्या/मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, स्पॉट / एटीएस उ0प्र0 लखनऊ।
4- सेनानायक, 42वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज।

<u>संख्या तथा दिनांक वहीं</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय उत्तरप्रदेश लखनऊ।
3- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उत्तरप्रदेश लखनऊ।
4- पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र-अयोध्या/मेरठ/सहारनपुर।